

कार्यालय प्रधानाचार्य :: जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

संख्या: /रैगिंग/ छा०लि०-2/2018

दिनांक: 23-8-2018

नव प्रवेशित छात्र/छात्रों हेतु छात्रावास में निवास के सन्दर्भ में आवश्यक सूचना

1. उ०प्र० प्रोहिबिशन आफ रैगिंग इन एजुकेशनल इस्टीट्यूशन्स एक्ट 2010 के अनुसार रैगिंग एक गैर कानूनी, दण्डनीय अपराध है तथा "जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा, का प्राविधान है"।
2. कक्षाओं से निलम्बन।
3. छात्रावास से निष्कासन।
4. छात्रवृत्ति पर रोक।
5. परीक्षा में बैठने से रोकना एवं परीक्षा परिणाम रोकना।
6. महाविद्यालय से निष्कासन, प्रवेश समाप्त करना एवं किसी अन्य कालेज/कोर्स में प्रवेश पर रोक।
7. उपरोक्त के साथ/अलावा उचित आर्थिक दण्ड।
8. चिन्हित न होने की दशा में छात्रों के ग्रुप/कक्षा पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही।

1. **UP Prohibition of Ragging in Educational Institutions act, 2010-Whoever directly or indirectly commits, participates, abets or propagates ragging within or outside any educational institution shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend in two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.**
- 2- Suspension from classes.
- 3- Expulsion from hostel.
- 4- Withholding / withdrawing of scholarship.
- 5- Debarring from appearing in the examination & withholding of result.
- 6- Expulsion from the college / cancellation of admission.
- 7- Suitable financial punishment.
- 8- Punishment to entire class / group in case of non identity.

अतः सभी छात्र/छात्राओ, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आपको किसी भी प्रकार की रैगिंग से दूर रखे अन्यथा उनके विरुद्ध उपरोक्तानुसार अनुशानात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, कानपुर

संख्या: 182 /तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उपाध्यक्ष, एन्टी रैगिंग कमेटी, मेडिकल कालेज, कानपुर।
- 2- प्रोक्टर, मेडिकल कालेज, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/छात्रावास अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार सभी छात्र/छात्राओं को सूचित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।
- 4- सभी सूचनापट (प्रधानाचार्य कार्यालय/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास/विभाग), मेडिकल कालेज, कानपुर।

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, कानपुर